न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/114)

निर्णय दिनांकः 10-10-2023

1. मनफूलराम पुत्र जीसुखराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़। (फौत)
1/1. गीतादेवी पत्नी स्व. मनफूलराम
1/2. अनिल पुत्र स्व. मनफूलराम
1/3. पुष्पा पुत्री स्व. मनफूलराम
1/4. भागवन्ती पुत्री स्व. मनफूलराम

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01—05—1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 01—05—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 25 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 197/4 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा आवेदित भूमि क आवंटन हेतु अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की वरियता सूची तैयार की गई तथा उक्त वरियता सूची में अपीलांट्स के पति/पिता का प्राथमिकता होने के कारण वादग्रस्त भूमि जरिये निलामी भूमि आवंटन करने की अनुशंसा भी की जा चुकी थी, परन्तु उक्त कार्यवाही के पश्चात् नोटिस जारी करने का अभिकथन करते हुए अपीलांट्स के पति/पिता का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी बावजूद सूचना निलामी में उपस्थित नहीं आया तथा उक्त भूमि अन्य को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट्स के पति/पिता को उक्त नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हआ नाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामीली की सुनिश्चितता आवंटन से पूर्व की गई है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट्स के पति/पिता ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट्स के पति/पिता को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट्स के पति/पिता का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट्स आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–05–1999 के विरूद्व अपील 18–03–2021 को पेश की है। जो करीब 21 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट्स अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–05–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 18–03–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट्स के पति/पिता ने विशेष आवंटन के तहत चक 25 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 197/4 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य व्यक्तियों द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में आवंटन की वरियता सूची तैयार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करने के उपरान्त सभी पात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी करते हुए आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

(3) इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चक 25 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 197/4 में 25 बीघा अनकमाण्ड के आवंटन हेतु अपीलांट्स के पति/पिता के साथ-साथ अन्य व्यक्ति यथा राजेन्द्रसिंह पुत्र जंगीरसिंह, मनफूल पुत्र नथूराम नायक व चरणसिंह पुत्र रामसिंह आदि ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30-12-1998 को सभी पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते हुए भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित करने का अभिकथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि दिनांक 30-12-1998 की आदेशिकाओं के अनुसरण में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

कालान्तर में दिनांक 20-04-1999 को अपीलांट्स के पति/पिता को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 01-05-1999 को आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया व वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो आदि प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। है। इतनी अल्प अवधि में अपीलांट्स के पति/पिता को नोटिस तामील होना व वांछित सबूत एकत्रित किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई चालान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुर्क्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 01-05-1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियम 13ए में उल्लेखित पात्रता की शर्तो की जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.10.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर